

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:-139/2022 (GCMS No. 2022/144) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामसिंह उम्र 48 साल पुत्र बाबू
2. साबूती उम्र 49 साल पुत्री बाबू
3. भबूती उम्र 73 साल बेवा रामकुमार
4. सुरेश उम्र 48 साल } पुत्रान रामकुमार
5. लखनलाल उम्र 44 साल }
जाति मीना निवासीयान कुडावदा तहसील सपोटरा जिला करौली (राज.)।

.....अपीलांट्स

बनाम

1. जगन्या पुत्र सुसरिया आयु 75 साल जाति धोबी निवासी कुडावदा तहसील सपोटरा जिला करौली (राज.)
2. आवंटन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) करौली तहसील व जिला करौली (राज.)
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली (राज.)

.....रेस्पोडेंट्स



अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध आदेश दिनांक 31.08.2022 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली मु.नं. 24/2022 उनवानी रामसिंह वगै. बनाम जगन्या वगै.।

उपस्थिति:-

1. अपीलाट्स की ओर से श्री पुरुषोत्तम मुद्गल, वकील
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री कृष्णकुमार सिंघल वकील

निर्णय

दिनांक : 26.10.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 31.08.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट्स द्वारा दिनांक 29.05.1976 को कुडावदा

40
अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

तहसील सपोटरा के खसरा नम्बर 1022/1 रकवा 4 बीघा भूमि कानूनन विधि विरुद्ध आवंटन होना बताया है। खसरा नम्बर 1022/1 रकवा 4 बीघा जिसका साबिक खसरा नम्बर 1022 रकवा 18 बीघा 08 विस्वा जिसके साबिक ख.नं. 593, 594, 597.मिन 598, 599 ग्राम कुडावदा तहसील सपोटरा अपीलांटस के पूर्वज सुखदेव, भोलू पिसरान धर्मसिंह जाति मीना (मैना) व रामहेत पुत्र नन्दा, सुगन्या पुत्र दुल्ली जाति मीना व हंसराम साकिन कुडावदा के समय की अपीलांटस के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिन पर अपीलांटस बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हैं। ख.नं. 1022/1 रकवा 4 बीघा भूमि पर रेस्पोडेन्स सं. 1 का आवंटन दिनांक 29.05.1976 से आज तक किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. के प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2022 से स्वीकार कर अपीलांटस की अपील खारिज कर दी गई। जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरवी हेतु श्री कृष्ण कुमार सिंघल एडवोकेट ने हाजिर अदालत आकर वकालतनामा पेश किया।

विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपने अपील मीमो व प्रार्थना पत्र द्वारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को मौखिक रूप से दोहराते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की ओर ध्यान दिलाते हुये दलील दी कि खसरा नम्बर 1022/1 रकवा 4 बीघा जिसका साबिक खसरा नम्बर 1022 रकवा 18 बीघा 08 विस्वा जिसके साबिक ख.नं. 593, 594, 597.मिन 598, 599 ग्राम कुडावदा तहसील सपोटरा अपीलांटस के पूर्वज सुखदेव, भोलू पिसरान धर्मसिंह जाति मीना (मैना) व रामहेत पुत्र नन्दा, सुगन्या पुत्र दुल्ली जाति मीना व हंसराज साकिन कुडावदा के समय की अपीलांटस के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिन पर अपीलांटस बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हैं। ख.नं. 1022/1 रकवा 4 बीघा भूमि पर रेस्पोडेन्स सं. 1 का आवंटन दिनांक से आज तक कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी ने आवंटन शर्तों का पालन नहीं किया गया। आवंटी द्वारा आवंटन के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में भूमि को काश्त नहीं किया। आवंटन नियमों में अंकित है कि आवंटी आधी भूमि उसी समय जोतेगा व शेष अगले वर्ष काश्त करेगा। अगर जमीन कब्जे में नहीं है तो स्वतः ही आवंटन खारिज होगा। रेस्पो. अपना कब्जा आवंटन के वक्त से बताते हैं। खसरा गिरदावरी पेश की है जो पुरानी है। रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) का तहसीलदार सपोटरा के यहाँ प्रस्तुत किया जो स्वीकार हुआ है। लेकिन फर्द दिनांक 11.07.2022 पुलिस जाप्ता नहीं होने से कब्जा नहीं संभलवाया गया। उक्त विवादित आराजी पर 46 साल से रेस्पो. का



अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

कब्जा नहीं है। धारा 183 (बी) में वो ही जाते हैं जिनका कब्जा नहीं होता है। आवंटित भूमि अपीलांट के पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें संवत् 2015 वक्त सैटलमेंट सिवायचक के हुए बिला आधार अनाधिकार राजस्व इन्द्राज खातेदारी हक हकूक अपीलांटस के पूर्वजों पर व अपीलांटस पर प्रारम्भ से ही शून्य, बेअसर, प्रभावहीन हैं बाध्यकारी नहीं हैं। सेटलमेंट विभाग को सेटिलमेंट से पूर्व के राजस्व रिकार्ड बदलने का अधिकार नहीं है। रेस्पो. धोबी जाति के हैं। हमारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) खारिज कर दिया जबकि कब्जा हमारा ही था। हम कब्जे में हैं और हमें बेदखल नहीं किया है तो अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली का आदेश का औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे बावत् जॉच नहीं की और कयास पर ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये। अपीलांटस का कब्जा काश्त बतौर हक खातेदारी होने की जानकारी के बाद आवंटन कमेटी को धोखा देकर गलत रूप से आवंटन कराया है। अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2022 की जानकारी दिनांक 01.11.2022 को नकल प्राप्त होने पर हुई, इससे पूर्व अपीलांटस को उनके वकील द्वारा सूचित नहीं करने के कारण नहीं हो सकी। अतः दिनांक 31.08.2022 से दिनांक 01.11.2022 तक का समय जानकारी कि अभाव में कन्डोन किया जावे। जिसके लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 31.08.2022 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अपीलांटस/प्रार्थीयान धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 29.05.1976 बावत् ख.नं. 1022/1 रकवा 4 बीघा ग्राम कुडावदा तहसील सपोटरा निरस्त किया जाकर भूमि को सिवायचक दर्ज किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा विद्वान वकील अपीलांटस के कथनों को नकारते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट को जमीन का आवंटन 1970 के नियमों के तहत वर्ष 1976 में हुआ था। हम विधिवत अलॉटी हैं और आवंटन के आधार पर हम कब्जे में हैं। आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन विधिवत रूप से किया गया है कोई फर्जकारी नहीं की गई है और न ही फर्जकारी तरीके से आवंटन हुआ है। अपीलांटस अपना कब्जा बताकर अतिक्रमी बता रहे हैं। आवंटन के वक्त अतिक्रमी नहीं थे। जब अपीलांटस जिला कलक्टर के यहां प्रार्थना पत्र धारा 14(4) का प्रस्तुत करेंगे तो धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा जो अपीलांटस के द्वारा नहीं दिया गया। इसके बिना अपील चलने योग्य नहीं है। अपील आदेश दिनांक 31.08.2022 के विरुद्ध दिनांक 03.11.2022 को मियाद बाहर पेश की गई है। अपीलांटस का कहना है कि हमें निर्णय की जानकारी नहीं थी। सरासर गलत है

अति. समीचीन
भरतपुर



क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र इन्होंने ही पेश किया था और उनके अभिभाषक ने बहस की थी। इस आधार पर मियाद को कन्डोन (माफ) नहीं किया जा सकता है और साथ ही मियाद के कानून को कठोरता से ही लागू करना होगा। यह कहना कि अभिभाषक ने कार्यवाही की सूचना नहीं दी यह मान्य नहीं है तथा 1976 को आवंटन हुआ व वर्ष 2018 में इतने लम्बे समय बाद शिकायत की है। इतने लम्बे समय बाद आवंटन खारिज नहीं हो सकता है। रेस्पोजेन्ट के आवंटन आदेश के साथ कब्जा सुपुर्दगी भी लगी हुई है। खसरा गिरदावरी संवत् 2015-30, 2051-54 और वर्तमान की भी प्रस्तुत की है। कब्जे के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जावेगा और खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलांटस द्वारा हमारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। कमजोर व्यक्ति को कानून का ही सहारा है। जिसके लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) के तहत प्रस्तुत किया गया। अपीलांटस ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये हैं कि हमने भूमि खाली कर दी। रेस्पोजेन्ट द्वारा अपने पक्ष/समर्थन में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2022-23 (Sup) आरआरटी पेज 112, 2013 आरआरटी पेज 192, 2018 आरबीजे पेज 539, 2020 आरबीजे पेज 765, 2021 डीएनजे (2) (Rev) पेज 975, 2019 आरबीजे पेज 77, 2018 आरबीजे पेज 539, 2018 आरबीजे पेज 436, 2017 आरबीजे पेज 536 (एस.सी), 2020 आरबीजे पेज 648, 2017 आरबीजे पेज 31, 2020 आरबीजे पेज 765, 2010 आरआरटी पेज 1162, 2011 आरआरटी पेज 1144 एवं 2019 आरबीजे पेज 694 प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलांटस खारिज फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा माननीय न्यायालय के प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2022 की जानकारी अपीलांट को 01.11.2022 को हुई थी और उसने इसके बाद दिनांक नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश की। इस संबंध में हम विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट के तर्क से सहमत हैं कि न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.08.2022 की अपीलांटस को बखूबी जानकारी रही थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र 14(4) उन्होंने ही पेश किया था और उनके अभिभाषक ने इस में बहस की है। अतः न्यायिक दृष्टांत 2019 आरबीजे पेज 658 में अभिनिर्धारित है कि " अभिभाषक पर यह आरोप लगाना कि उसे समय समय पर कार्यवाही की इत्तला नहीं दी गई मान्य नहीं है। देरी को माफ करने के लिए कोई उचित कारण नहीं है।" यहाँ पर अपीलांटस ने यह भी

अ.संभागीय अ.संभागीय
मरतपुर

नहीं बताया कि उन्होंने अपने अधीनस्थ न्यायालय के अभिभाषक के खिलाफ क्या कार्यवाही की। अभिभाषक के खिलाफ आरोप लगाना आसान है कि जब अदालत में आरोपों का खण्डन नहीं कर सकता। ऐसे में देरी को माफ नहीं किया जा सकता है (आरबीजे 2019 पेज 362)। साथ ही कानून किसी पार्टी के लिए कितना भी कठोर हो लेकिन जब कानून में प्रावधान है तो उसे कठोरता से लागू करना पड़ेगा। अदालतें समानता के आधार पर समय सीमा नहीं बढ़ा सकती हैं (आरबीजे 2019 पेज 20)। इस प्रकार अपीलांटस को निर्णय दिनांक 31.08.2022 की बखूबी जानकारी थी और अपील मयाद बाहर पेश होने से माननीय न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांतों के मध्येनजर अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से विलम्ब अवधि को माफ नहीं किया जा सकता है और यह प्रार्थना पत्र दफा 5 मयाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि विवादित भूमि आराजी ख.नं. 1022/1 रकवा 4 बीघा वांके ग्राम कुडावदा तहसील सपोटरा रेस्पोडेन्ट जगन्या पुत्र सुसरिया जाति धोबी को दिनांक 29.05.1976 को आवंटित हुई थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनाधिवासित भूमियों के कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन के लिए आवेदन पत्र, रिपोर्ट पटवारी, सिफारिश भूमि आवंटन सलाहकार समिति, आदेश सब डिवीजनल ऑफिसर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी करौली का सरकारी अनाधिवासित भूमि आवंटन आदेश, कब्जा देने की रिपोर्ट दिनांक 7.6.1976 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट जगन्या को यह भूमि अनाधिवासित भूमि होने से ही नियमानुसार प्रक्रिया की पालना करते हुए विधिवत रूप से भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा आवंटित की गई थी और इसका कब्जा भी आवंटी जगन्या को सुपुर्द किया गया था। इस प्रकार अपीलांटस का यह कहना कि विवादित भूमि पर अपीलांटस का कब्जा रहा है, गलत साबित हो जाता है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत खसरा गिरदावरीयात से भी उनकी कब्जेकाश्त खातेदारी स्पष्ट होती है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2022-23 (Supp.) आरआरटी पेज 112 से स्पष्ट हो जाता है कि-“ जहाँ तक आवंटी द्वारा विवादित आराजी पर काश्त नहीं किये जाने का प्रश्न है, काश्त किये जाने की शर्त को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999 में जारी अधिसूचना से विलोपित किया जा चुका है। हालांकि विचारण न्यायालय की पत्रावली में खसरा गिरदावरीयात संलग्न है जिसमें विवादित आराजी पर काश्त किये जाने का अंकन है। उसी स्थिति में काश्त नहीं किये जाने के बिन्दु पर वर्ष 1976 में पारित आवंटन आदेश को वर्ष 2022 में 47 वर्ष बाद प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से निरस्त किया जाना विधिसम्मत होना नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार



अति. सभागीय आयुक्त
भरतपुर

पक्षकार की शिकायत पर निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। हम विद्वान अभिभाषक अपीलांटस द्वारा दी गई दलीलों के सारहीन, तथ्यहीन एवं विधिसम्मत नहीं होने से कतई भी सहमत नहीं हैं। विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट द्वारा दी गई दलीलों से हम पूर्णतया सहमत है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी मौजूदा प्रकरण में उनके मददगार साबित हैं। इस प्रकार रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतों के प्ररिप्रेक्ष्य में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। उक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलांटस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

8. फलस्वरूप उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति के मध्येनजर अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.08.2022 बहाल रखा जाता है। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
9. आज दिनांक 26.10.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर